सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

22 नवम्बर, 2019

षोडश विधान सभा   शुक्रवार, तिथि 22 नवम्बर,2019 ई0
चतुर्दश सत्र   01अग्रहायण,1941(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

प्रारम्भिक कार्य

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, षोडश बिहार विधान सभा के चतुर्दश सत्र के शुभारंभ पर आप सभी माननीय सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ ।

वर्तमान सत्र के दौरान कुल पाँच बैठकें निर्धारित हैं जिसमें 2019-20 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी के व्यवस्थापन के अलावा राजकीय विधेयक तथा गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र विमर्श, आपसी समझदारी और समझौतों पर निर्भर करता है । लोकतंत्र में चर्चा केवल इसलिए नहीं होती कि दृष्टिकोण अथवा हितों में मतभेद होता है, बल्कि इसलिए भी कि मतभेदों की अभिव्यक्ति और उन्हें सुना जाना लोकतंत्र की विशेषता है । इस तरह लोकतंत्र विविधता, बहुलवाद और नागरिकों के बीच समानता को आधारभूत मानकर चलता है और जब कभी ऐसी विविधता प्रकट होती है तब उसे सुलझाने हेतु विमर्श की लोकतंत्रीय परम्परा का उपयोग होता है । इसलिए इस सदन में विचार-विमर्श पर सबसे अधिक तवज्जो दिया जाना ही अभीष्ट प्राप्ति को सार्थक सिद्धि दे सकता है ।

पिछले सत्र के दौरान आप सबों के सहयोग से ही सत्र सुव्यवस्थित चला जिसके कारण जनहित के अधिकाधिक मुद्दों पर विमर्श एवं उनके निदान का मार्ग प्रशस्त हो पाया । आप अवगत हैं कि इसकी सराहना भी हुई ।

इसी परिप्रेक्ष्य में, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सत्र के भी सफल संचालन में आप सभी माननीय सदस्यों का सकारात्मक सहयोग निरंतर प्राप्त होगा ।

अध्यासी सदस्यों का मनोनयन

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-12(1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को षोडश बिहार विधान सभा के चतुर्दश सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूँ:-

1. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, स0वि0स0
2. श्री मोहम्मद नेमतुल्लाह, स0वि0स0
3. श्री रामचन्द्र सहनी, स0वि0स0
4. श्री रामदेव राय, स0वि0स0
5. श्रीमती प्रेमा चौधरी, स0वि0स0

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-219 (1) के अधीन मैं षोडश बिहार विधान सभा के चतुर्दश सत्र के लिए कार्य-मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूँ:-

1. अध्यक्ष, बिहार विधान सभा	-	सभापति
2. श्री नीतीश कुमार, उमुख्यमंत्री	-	सदस्य
3. श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री	-	सदस्य
4. श्री श्रवण कुमार, मंत्री, संसदीय कार्य	-	सदस्य
5. श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री, ऊर्जा	-	सदस्य
6. श्री प्रेम कुमार, मंत्री, कृषि	-	सदस्य
7. श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल	-	सदस्य
8. श्री सदानन्द सिंह, स0वि0स0	-	सदस्य

इसके अलावा निम्नलिखित विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे :-

विशेष आमंत्रित सदस्य

1. श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, स0वि0स0

2. श्री महबूब आलम, स0वि0स0

3. श्री राजू तिवारी, स0वि0स0

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे ।

औपचारिक कार्य

बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित तदुपरान्त महामहिम राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयकों के विवरण का सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा जाना।

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सभा सचिव : महोदय, मैं बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्नलिखित विधेयकों की एक विवरणी पटल पर रखता हूँ जिसमें महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अधीन अनुमति प्रदान की गयी है और इसकी सूचना षोडश बिहार विधान सभा के त्रयोदश सत्र की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई है :-

महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण

क्रमांक	विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि
1.	दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन)(निरसन) विधेयक, 2018	20.05.2019

<u>महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण</u>

क्रमांक	विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि
1.	बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2019	29.07.2019
2.	बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2019	29.07.2019
3.	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विधेयक, 2019	29.07.2019
4.	बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1977-78, 1978-79, 1984-85, 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1998-99, 1999-2000, 2003-04, 2010-11 एवं 2015-16) विधेयक, 2019	03.08.2019
5.	बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019	03.08.2019
6.	बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2019	10.08.2019

<u>वित्तीय कार्य</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-205 के अनुसरण में बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा वित्तीय वर्ष 2019-20 में जो खर्च होने की संभावना है उसके सम्बन्ध में, मैं द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद-205 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1982-83 एवं 2004-05 के अधिकाई व्यय का विवरण उपस्थापित करता हूँ ।

<u>शोक प्रकाश</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है :-

टर्न-2/ज्योति/22.11.2019

स्वर्गीय नैयर आजम

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री नैयर आजम का निधन दिनॉंक 27 जुलाई, 2019 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 73 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय आजम मधुबनी जिला के पंडौल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1995, 2000 एवं 2005 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे समाजवादी विचाराधारा के व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय रघुपति गोप

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री रघुपति गोप का निधन दिनॉंक 02 अगस्त, 2019 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 92 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय गोप भोजपुर जिला के पीरो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977 एवं 1985 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वचित हुए थे । वे कर्मठ एवं लोकप्रिय व्यक्ति थे । उनका जीवन सादगीपूर्ण था । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय डॉ0 जगन्नाथ मिश्र

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार के पूर्व मंत्री डॉ0 जगन्नाथ मिश्र का निधन दिनॉंक 19 अगस्त, 2019 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 82 वर्ष की थी । स्वर्गीय मिश्र मधुबनी जिला के झंझारपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1972, 1977, 1980, 1985 एवं 1990 में

बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे वर्ष 1968 में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् एवं वर्ष 1988 एवं 1994 में राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वे वर्ष 1995 में भारत सरकार में मंत्री भी रहे थे । शिक्षा के क्षेत्र में उनकी गहरी रुचि थी । राज्य में कई शिक्षण संस्थाओं के सृजन में उनकी अहम भूमिका रही थी । वे कुशल प्रशासक एवं संदेनशील राजनेता थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय राम जेठमलानी बूलचंद

पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं विद्वान अधिवक्ता श्री जेठमलानी का निधन दिनॉक 08 सितम्बर, 2019 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 96 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय जेठमलानी महाराष्ट्र के बॉम्बे (उत्तर पश्चिम) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977 एवं 1980 में लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे वर्ष 1988 में राज्य सभा के लिए चुने गए और भारत सरकार में मंत्री भी रहे थे । वर्तमान में वे बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर राज्य सभा के सदस्य थे । स्वर्गीय जेठमलानी माननीय उच्चतम न्यायालय के एक विख्यात अधिवक्ता थे । वे बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के कई बार अध्यक्ष रहे एवं इंटरनेशनल बार कौंसिल के भी सदस्य रहे थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

स्वर्गीय तुलसी दास मेहता

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री तुलसी दास मेहता का निधन दिनॉक 12 सितम्बर, 2019 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 85 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय मेहता वैशाली जिला के जन्दाहा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1962, 1969, 1985, 1990 एवं 1995 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार के मंत्री भी रहे थे । वे समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे । भू-दान एवं ग्राम दान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय मेहता ने समाज में शैक्षणिक जागरुकता के लिए कई शिक्षण संस्थाओं का निर्माण भी किया था । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करे ।

माननीय सदस्यगण, अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर ....

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण के सुगौली के मजदूरों को भी श्रद्धांजलि दी जाय महोदय ।

अध्यक्ष : अभी शोक प्रकट करने दें । अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें ।

(इस अवसर पर एक मिनट का मौन)

माननीय सदस्यगण, मेरी एक गुजारिश है कि कोई माननीय सदस्य अगर किन्हीं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना सदन का कर्त्तव्य समझते हैं तो वे समय के पहले अध्यक्षीय कार्यालय को सूचित करें वरना इतने गंभीर मसले पर सदन में इस तरह की बात होना अच्छा नहीं लगता है ।

माननीय सदस्यगण, मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजवा दूँगा ।

अब सभा की बैठक, सोमवार, दिनॉक 25 नवम्बर, 2019 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।